न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 20 / 2022 निर्णय दिनांकः 30.01.2023
ऑनलाईन नंबर 2022 / 41

गोमती देवी उम्र 32 वर्ष पुत्री पोकरराम (पत्नी मनोज कुमार) जाति नाई निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू।

बनाम

1. पोकरराम पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. फूसाराम पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. रामचन्द्र पुत्र भैराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. नानूदेवी पत्नी शेराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
5. किशनाराम पुत्र शेराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. पूर्णाराम पुत्र शेराराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
7. खिराजराम पुत्र मांगूराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
8. रतूराम पुत्र मांगूराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
9. कोमल नाबालिग पुत्री भंवरी पत्नी महावीरराम जाति नाई निवासी भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये संरक्षक अपने पिता महावीरराम नाई।
10. गजानन्द नाबालिग पुत्र भंवरी पत्नी महावीरराम जाति नाई निवासी भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये संरक्षक अपने पिता महावीरराम नाई।
11. भावना नाबालिग पुत्री भंवरी पत्नी महावीरराम जाति नाई निवासी भानीसर तेजसिहोतान तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू जरिये संरक्षक अपने पिता महावीरराम नाई।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

(प्रतिवादीगण)

13. उदीदेवी पत्नी पोकरराम जाति नाई निवासी ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़।

(गौण प्रतिवादी)

उपस्थितिः—

1. **श्री महेन्द्र सिंह मान अभिभाषक वादी**
2. **श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 7 ता 8**

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] वल्द हीरा की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 262 तादादी 23 बी[illegible]13 [illegible], खसरा नम्बर 421 तादादी 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा [illegible] 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 422 तादादी 32 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 423 तादादी 16 बीघा 10 बिस्वा, कुल कीता 5 कुल तादादी 112 बीघा 2 बिस्वा वाकेरोही बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित रहे है। वादिनी के दादा भैराराम की मृत्यु होने [illegible] बाद उक्त खसरान भूमि का विरास्तन इन्तकाल संख्या 550 दिनांक 11.05.1993 के जरिये उनके वारिसान मु. सोनकी बेवाह भैरा, रामचन्द्र, फूसाराम, पोकरराम, शेराराम, मांगूराम पुत्रगण भैरा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:49 IST
Reason: SelfAttested

केशर, नोजा पुत्रियां भैरा के नाम खातेदारी दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 262 तीन मीन खसरों से तीन नये खसरा 310 तादादी 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 312 तादादी 4.79 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 268 के नये खसरा नम्बर 322 तादादी 8.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 के नये खसरा नम्बर 530 तादादी 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 के नये खसरा नम्बर 533 तादादी 4.17 हैक्टेयर कायम हुए हो गए। मु. सोनकी व केशर, नोजा द्वारा उपर्युक्त खसरान भूमि में अपने हिस्से का परित्याग पोकरराम, फूसाराम, रामचन्द्र (प्रतिवादी संख्या 1 ता 3) व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के पति/पिता शेराराम एवं प्रतिवादी संख्या 7, के पिता मांगूराम के पक्ष में कर दिया जिस पर उपर्युक्त खसरान भूमि में उक्त पोकरराम, फूसाराम, रामचन्द्र, शेराराम व मांगूराम के नाम 1/5, 1/5 हिस्सा प्रत्येक के नाम खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई। यह है कि फिर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं स्व. शेराराम व मांगूराम ने उपर्युक्त पैतृक खातेदारी भूमि का विभाजन करवा लिया जिसके आधार पर खसरा नंबर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से पांती में रही व खसरा नम्बर 311 तादादी 1.0500 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/5 हिस्से की खातेदारी दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 1 के एकमात्र पुत्री संतान वादिनी है। वादगत खेत वादिनी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादिनी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 वृद्ध व्यक्ति है और प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त खसरा नम्बर 1136/322, खसरा नम्बर 1131/312 की सम्पूर्ण भूमि व खसरा नम्बर 311 की भूमि में वर्णित 1/5 हिस्सा भूमि को वादिनी व गौण प्रतिवादी सं. 13 काश्त कर अपना गुजारा चलाती है। गौण प्रतिवादी संख्या 13 के जीवनयापन का एकमात्र सहारा भी उक्त वादगत कृषि भूमि ही है। वादगत खेत खसरा नम्बर 1136/322, खसरा नम्बर 1131/312 व 311 की कृषि भूमि वादिनी की पैतृक कृषि भूमि है। दादा की सम्पति में पौते/पौती का अधिकार जन्म से ही हो जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादीगण के बहकावे में आया हुआ है और प्रतिवादी सं. 2 ता 8 प्रतिवादी सं. 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर वादगत खेतों को हर हाल में विक्रय पत्र का सम्पादन अपने नाम करवाकर वादिनी व गौण प्रतिवादी सं. 13 को वादगत खसरा भूमि से महरूम कर देना चाहते है। वादगत खसरा नम्बर 1136/322, खसरा नम्बर 1131/312 में वादिनी का 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 में वादिनी का 1/10 हिस्सा है। वादगत खसरान भूमि वादिनी की पैतृक सम्पति होने से वादिनी उक्त खसरान भूमि में अपने उपर्युक्त वर्णित हिस्सा की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है जिसके लिए यह घोषणात्मक दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत खसरान भूमि में वादिनी पैतृक तौर पर हक हिस्सा व कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादिनी व प्रतिवादी सं. 1 आपस में पिता/पुत्री है इसलिए वादगत खसरान भूमि को अदल बदल कर काश्त करते रहते है। वादिनी वादगत खसरान भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करवाना चाहती है जिसके लिए यह विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 अन्य प्रतिवादीगण के बहकावे में आकर वादगत खसरान भूमि को [illegible] और येन–केन–प्रकारेण वादगत खसरान भूमि को विक्रय, ह[illegible]दिनी व गौण प्रतिवादिनी की आजीविका समा[illegible]क 25.02.2022 को प्रतिवादी सं. 1 से नि[illegible]को किसी भी तरह से विक्रय, हस्तान्तरण [illegible] हक हिस्सा से वंचित नहीं करें व गौण प्रतिवादिनी के आजीविका के सहारे [illegible]समाप्त नहीं करें व प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 से भी वादिनी ने निवेदन किया कि वो प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्धावस्था का फायदा उठाकर वादगत खसरान भूमि को क्रय नहीं करें तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:49 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया व वादगत खसरान की भूमि को जल्द ही प्रतिवादी संख्या 1 से विक्रय पत्र के जरिये भूमि अपने नाम करवा लेने की धमकी दी, ऐसी स्थिति में वादिनी के पास अपने अधिकारों की रक्षार्थ वादगत खसरान भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर प्रतिवादीगण को तुरन्त रोका नहीं गया तो वादगत खसरान भूमि को विक्रय, हस्तान्तरण कर वादिनी को उसके पैतृक हक हिस्सा से वंचित कर देंगे। प्रतिवादीगण के इस नाजायज दोषपूर्ण कृत्य को रूकवाने हेतु उन्हें जरिये चिरनिषेधाज्ञा द्वारा वर्जित किया जाना आवश्यक हो गया है जिसके लिए यह चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादगत कृषि भूमि वादिनी की पैतृक कृषि भूमि होने से व वादिनी का वादगत खेतों में पैतृक हक हिस्सा निहित होने से व कब्जा काश्त चले आने से वादाधार हासिल है व प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी को उसके हक हिस्सा से वंचित करने की धमकी दिनांक 25.02.2022 को देने से वाद हेतु हासिल हुआ है। यह है कि दावा घोषणात्मक, विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति का होने से प्रतिवादी संख्या 12 स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड के संधारण कर्ता होने के नाते आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण येन–केन–प्रकारेण शीघ्र ही वादगत खसरान भूमि को रहन, वहन मुन्तकिल खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है, इस आधार पर हस्तगत दावा अति आवश्यक प्रकृति का है, स्टेट के खिलाफ विशेष अनुतोष की मांग नहीं की गई है, फिर भी कानूनी आपतियों को ध्यान में रखते व दावा की आवश्यक प्रकृति के आधार पर तुरन्त अनुतोष प्राप्ति के लिए धारा 80 सीपीसी के नोटिस मियाद की अवधि की छूट हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दावा प्रस्तुत करने की अनुमति न्यायालय द्वारा ली गई है। यह है कि वादगत खेत रोही ग्राम बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से श्रीमान्‌जी को दावा सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है। यह है कि वादिनी का दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि बहक वादिनी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री आज्ञाप्त की जावे :–

(क) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला में वादिनी के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी व खसरा नम्बर 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला में वादिनी के नाम 1/10 हिस्सा की खातेदारी की घोषणा की जावे।

(ख) कि वादगत खेत खसरा नम्बर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला में 1/2 हिस्सा का विभाजन व खसरा नम्बर 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर रोही ग्राम बाडेला में 1/10 हिस्सा का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाकर खाता विभाजन किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अलग से वादिनी का हिस्सा दर्शाया जाकर नक्शा अक्स में भी तरमीम किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 12 को दिया जाकर उसकी पालना करवाई जावे।

(ग) कि प्रतिवादीगण का जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जावे कि वो वादगत खेत वादगत खेत खसरा नम्बर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर व [illegible] 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर वाकेरोही बाडेला से वादिनी को बेदख[illegible] नहीं [illegible], वादिनी के कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग में किसी भी तरह से बाधा [illegible] नहीं डाले ना ही वादगत खेतों को किसी व्यक्ति को विक्रय, रहन, [illegible] प्रकार से मुन्तकिल करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादिनी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:58:49 IST
Reason: SelfAttested

(घ) कि दावे का समस्त हर्जा–खर्चा वादिनी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(ड़) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादिनी हो या दौराने दावा हितकर वादिनी हो जावे, वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

वादिनी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया। वादिनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पारिवारिक राजीनामा पेश किया गया। बहस सुनी गई। संक्षेप में वादिनी एवं प्रतिवादीगण को जरिये राजीनामा स्वीकार करने में आपति नहीं होने व वादिनी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर हिस्सा 1/5 में से 1/2 हिस्सा वाकेरोही बाडेला में प्रतिवादी संख्या 1 (पोकरराम पुत्र भैराराम) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में सें ऊपर वर्णित खसरान भूमि में वादिनी को 1/2 ब.हि.ब खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वार लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

गोमतीदेवी पुत्री पोकरराम (पत्नी मनोज कुमार) जाति नाई निवासी बाडेला तहसील श्रीडूंगरगढ हाल गोपालपुरा तहसील सुजानगढ जिला चुरू **बनाम** पोकरराम वगै.

दावा बाबतः घोषणा,विभाजन, चिरनिषेधाा

मुकदमा नम्बर 20/2022

निर्णय दिनांकः

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री महेन्द्र मान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 7 ता 8 बाबूलाल दर्जी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1131/312 तादादी 0.5742 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1136/322 तादादी 4.28 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 311 तादादी 1.05 हैक्टेयर हिस्सा 1/5 में से 1/2 हिस्सा वाकेरोही बाडेला में प्रतिवादी संख्या 1 (पोकरराम पुत्र भैराराम) के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में सें ऊपर वर्णित खसरान भूमि में वादिनी को 1/2 ब.हि.ब खातेदार घोषित किया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक ३० माह ०। सन् 2023 को जारी किया गया ।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	100	योग	0

उपखण्ड अधिकारी
श्री डूंगरगढ
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.13 17:38:49 IST
Reason: SelfAttested